



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042022-234886
CG-DL-E-06042022-234886

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1556]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2022/ चैत्र 15, 1944

No. 1556]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2022/CHAITRA 15, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1625(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में NH753F के कि.मी. 20.9 से कि.मी. 52 (सब डिविशनल ऑफिस, पैठण फुलंब्री मुख्य कार्यालय औरंगाबाद नियर धूत हॉस्पिटल औरंगाबाद) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "१५ फरवरी २०२२" को "दैनिक भास्कर" और "आत्ताच एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में NH753F के कि.मी. 20.9 से कि.मी. 52 (सब डिविशनल ऑफिस, पैठण फुलंब्री मुख्य कार्यालय औरंगाबाद नियर धूत हॉस्पिटल औरंगाबाद) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: औरंगाबाद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: फुलंब्री				
	गांव का नाम: बिल्डा				
1	198	निजी	सिंचित	0.04	शिवाजी साहेबराव जाधव (१९८)
2	198	निजी	सिंचित	0.02	तान्हाजी साहेबराव जाधव (१९८)
3	261	निजी	असिंचित	0.05	अध्यक्ष राघवानंद तोताराम महाराज मठ संस्थान हंस्तातरीत न होणारे (२६१)
4	262	निजी	असिंचित	0.02	सुशील सर्जेराव (२६२)
5	343	निजी	असिंचित	0.05	अध्यक्ष राघवानंद तोताराम महाराज मठ संस्थान हंस्तातरीत न होणारे (३४३)
6	78	निजी	सिंचित	0.05	दामोधर धोंडीबा कणसे, रामदास धोंडीबा कणसे, गयाबाई पांडुरंग तांदळे, कांताबाई गणपत बखळे, योगेश गंगाधर कणसे, उमेश गंगाधर कणसे, मंगल दादासाहेब पठारे, उषा दौलत पवार (७८पै.)

	गांव का नाम: महालकिन्होळा				
7	289	निजी	असिंचित	0.13	विठ्ठल सांडू तुपे (२८९)
8	290	निजी	सिंचित	0.017	कांताबाई हरिकिसन तुपे (२९०)
9	290	निजी	सिंचित	0.327	संगिताबाई व्दारकादास तुपे (२९०)
	गांव का नाम: पाथ्री				
10	138	सरकारी	असिंचित	0.82	सरकार (१३८)
11	145	सरकारी	असिंचित	0.015	सरकार (१४५)
	गांव का नाम: फुलंब्री				
12	425	निजी	सिंचित	0.175	कचरू नंदाराम, बाबासाहेब नंदाराम, व्दारकाबाई नंदाराम, रुखमणबाई सरदार, अजिनाथ हिम्मत जाधव, जगन्नाथ बंडू जाधव, सुदाम सूर्यभान जाधव, कचरू नंदाराम जाधव, सुदाम सूर्यभान जाधव, युवराज पंडितराव जाधव, विनोद पंडीतराव जाधव, रोहीणी संजय जाधव, रेखा संतोष जाधव बबीता दत्तु जाधव (४२५)
13	469	निजी	सिंचित	0.015	स. जमीर हुसैन स. सादिक हुसैन (४६९)
14	469	निजी	सिंचित	0.1	स. जफर हुसैन स. सादिक हुसैन स.जहीर हुसैन स. सादिक हुसैन स. सिध्दीकी हुसैन स. सादिक हुसैन स. जमीर हुसैन स. सादिक हुसैन (४६९)
15	470	निजी	सिंचित	0.05	छगन टमाजी रघु (४७० पै.)
16	470	निजी	सिंचित	0.05	सुनील बाबुराव रघु (४७० पै.)
17	663	निजी	सिंचित	0.016	अमिनावेगम, अफिजोदिन काजी,

					जमीरोदिन फजलोदिन, रजियोदिन फजलोदिन, तेबूजीनिसावेगम फजलोदिन, अल्लाउदिन अमिनोदिन, स. यूसुफोदिन अमिनोदिन, स. मुकीनोदिन दलीलोदिन काजी, स. समोशोदिन दलीलोदिन काजी, स. शरफोदिन दलीलोदिन काजी, खैरुन्नीसावेगम सालिमोदिन, कबीररोदिन सलीमोदिन, शाफियोदिन सलीमोदिन, रशिदावेगम स. चाँद, खलिदावेगम स. अकत्तर, शहिदावेगम बशारत (६६३)
			कुल	1.945	

[फा. सं. RW/NH/12014/175/2016-MAH-P6/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1625(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH753F on the stretch of land from Km. 20.9 to Km. 52 (sub divisional office, paithan phulambri mukya karyalay aurangabad near dhoot hospital aurangabad) in the district of AURANGABAD in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “Attach Express” both dated 15/02/2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH753F in the stretch of land from NH753F (sub divisional office, paithan phulambri mukya karyalay aurangabad near dhoot hospital aurangabad) in the district of AURANGABAD in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: AURANGABAD		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Phulambri				
	Village: Bilda				
1	198	Private	irrigated	0.04	Shivaji Sahebrao Jadhav 198
2	198	Private	irrigated	0.02	Tanhaji Sahebrao Jadhav 198
3	261	Private	Non irrigated	0.05	President Raghavanand Totaram Maharaj Math Sansthan not to be transferred 261
4	262	Private	Non irrigated	0.02	Sushil Sarjerao 262
5	343	Private	Non irrigated	0.05	President Raghavanand Totaram Maharaj Math Sansthan not to be transferred 343
6	78	Private	irrigated	0.05	Damodhar Dhondiba Kanse, Ramdas Dhondiba kanse, Gayabai Pandurang Tandale, Kantabai Ganpat Bakhale, Yogesh Gangadhar Kanse, Umesh Gangadhar Kanse, Mangal Dadasaheb Pathare, Usha Daulat Pawar, 78 P
	Village: Mahal Kinholia				
7	289	Private	Non irrigated	0.13	Vittal Sandu Tupe 289
8	290	Private	irrigated	0.017	Kantabai Harikisan Tupe 290
9	290	Private	irrigated	0.327	Sangitabai Dwarakadas Tupe 290
	Village: Pathri				
10	138	Government	non-irrigated	0.82	Government 138
11	145	Government	Non Agriculture	0.015	Government 145
	Village: Phulambri				
12	425	Private	irrigated	0.175	Kacharu Nandaram, Babasaheb Nandaram, Dwarkabai Nandaram, Rukhamanbai Sardar, Ajinath Himmat

					Jadhav, Jagannath Bandu Jadhav, Sudam Suryabhan Jadhav, Kacharu Nandaram Jadhav, Sudam Suryabhan Jadhav, Yuvraj Panditrao Jadhav, Vinod Panditrao Jadhav, Rohini Sanjay Jadhav, Rekha Santosh Jadhav, Babaita Dattu Jadhav, 425
13	469	Private	irrigated	0.015	S.Jamir Husain S. Sadik Husain 469
14	469	Private	irrigated	0.1	S.Jafar Husain S. Sadik Husain S.Jahir Husain S. Sadik Husain S. Sidhikii Husain S. Sadik Husain S.Jamir Husain S. Sadik Husain 469
15	470	Private	irrigated	0.05	Chagan Tamaji Raghu 470 P.
16	470	Private	irrigated	0.05	Sunil Baburao Raghu 470 P.
17	663	Private	irrigated	0.016	Aminabegum, Afizodin kazi, Zamirudin Fazlodin, Raziodin Fazlodin, Tebujinisabegum Fazlodin, Allauddin Aminodin, S. Yusufodin Aminodin, S. Mukinodin Dalilodin kazi, S. Samoshodin Dalilodin kazi, S. Sharafodin Dalilodin azi, Khairunnisabegam Salimodin, Kabirrodin Salimodin, Shafiodin Salimodin, Rashidabegum S. Chand, Khalidabegam S. Akhtar, Shahidabegam Basharat 663
			TOTAL	1.945	

[F. No. RW/NH/12014/175/2016-MAH-P6/3D]

RAJESH GUPTA, Director